



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2025/41

—: आदेश:—

दिनांक 03-01-2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2024/429 दिनांक 29.10.2024 में खाता संख्या 293 त्रुटिवश लिखना रह गया है, जिसमें खाता संख्या 293 में भी दर्ज प्रविष्टि को शुद्ध करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2024/429 दिनांक 29.10.2024 का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 293 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व निर्णीत पत्रावली इस पत्रावली के साथ संलग्न हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	बाली	293	राजाराम पुत्र हीराराम	राजेन्द्र कुमार परिहार उर्फ राजाराम पुत्र हीराराम



क्रमांक/कोर्ट/2025/2778-2780

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का बाली को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार परिहार उर्फ राजाराम पुत्र श्री हीराराम जाति माली निवासी बाली तहसील बाली को सूचनार्थ।

3
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 03-01-2025

3
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली